प्रेस नोट दिनांक 03.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ACJM-13 जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW के अनुपालन में केस नं0 9115/2020, मु0अ0सं0 144/1987 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त गुलाब पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम मिसिरपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 03.11.2026 को ग्राम टिकरी, थाना मान्धाता से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण:
1. गुलाब पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम मिसिरपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:
उ0नि0 हरेन्द्र सिंह हे0का0 रविशंकर यादव, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: प्रेम प्रसंग के विरोध पर रची गई थी खौफनाक साजिश, पुलिस ने 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस व स्पेशल टीम, सर्विलांस टीम द्वारा किया गया बड़ा खुलासा: प्रेम प्रसंग के विरोध में रचे गए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी, 02 शातिर हत्यारोपी, नीरज सिंह व साहिल सरोज गिरफ्तार

ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व: प्रतापगढ़ पुलिस ने तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सुलझाई बिजेन्द्र सिंह हत्याकांड की गुत्थी

युवक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश: रंजिश में दोस्तों ने ही शराब पिलाकर की थी हत्या, अभियुक्त नीरज सिंह की निशानदेही पर तालाबनुमा गड्ढे से शव बरामद कर आरोपियों को दबोचा

थाना संग्रामगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: गुमशुदगी से शुरू हुई मिस्ट्री का अंत, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दो हत्यारोपी गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 27.10.2026 को बिजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जयसिंह, निवासी ग्राम प्रतापपुर चेरगढ़, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष अपने घर से खेत देखने के लिए निकले थे। काफी देर तक वापस न आने पर परिजनों द्वारा उनकी तलाश की गई तथा दिनांक 28.10.2026 को थाना संग्रामगढ़ पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। दिनांक 28.10.2026 को रात्रि उनका मोबाइल फोन ग्राम प्रतापपुर से पिपरी जाने वाले मार्ग पर स्थित नाले के पास झाड़-झंखाड़ में पड़ा मिला था। परिजनों द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण किए जाने की आशंका व्यक्त की गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच के क्रम में गुमशुदगी को अभियोग में परिवर्तित कर थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 210/2026 धारा 140(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई। दिनांक 02.11.2026 को बिजेन्द्र सिंह का शव गांव के ही तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ, जिसे पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1), 238 एवं 315 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सिद्धार्थ सिंह मय हमराह उ0नि0 आत्माप्रसाद यादव व उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर, का0 कुलदीप, का0 बीरपाल, का0 विजय चौहान, रि0का0 सुयश राय, रि0का0 शिवम कुमार, रि0का0 अनिरूध्द यादव, रि0का0 अंकित प्रभात व स्पेशल टीम उ0नि0 विजेन्द्र सिंह प्रभारी स्पेशल टीम मय हमराह हे0का0 मनोज यादव, का0 मुकेश पटेल एवं का0 पीयूष यादव व सर्विलांस सेल से हे0का0 जितेन्द्र कुशवाहा द्वारा उक्त अभियोग में विवेचनात्मक, सर्विलांस एवं तकनीकी, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए 02 अभियुक्तगण क्रमशः 1. नीरज सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी ग्राम चेरगढ़, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष को धान के खेत के पास बने तालाबनुमा गड्ढे के पास एवं 2. साहिल सरोज पुत्र राजकुमार सरोज निवासी ग्राम महासीनपुर, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत बाभन भखरी गंगा एक्सप्रेस वे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त नीरज सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह अपने गांव की एक लड़की से प्रेम करता था तथा उससे मिलता-जुलता था। बिजेन्द्र सिंह द्वारा उसे लड़की के साथ देख लेने तथा इसकी जानकारी लड़की के परिवार वालों को देने के कारण लड़की के परिजन उससे नाराज रहने लगे थे। इसी बात को लेकर वह बिजेन्द्र सिंह से रंजिश रखने लगा तथा बदला लेने की योजना बनाने लगा।

अभियुक्त के कथनानुसार, दिनांक 27.10.2026 को उसने अपने साथी साहिल सरोज को बुलाकर बिजेन्द्र सिंह की हत्या करने की योजना बताई तथा इसके बदले उसे रुपये देने का लालच दिया। इसके बाद दोनों ने सोना सरैया ठेके से शराब खरीदी, जिसका भुगतान नीरज ने ऑनलाइन किया। बाभन बखरी से चखना खरीदने के बाद दोनों अपने मुर्गी फार्म के पास खेत में पहुंचे। नीरज ने अपने दूसरे सिम से बिजेन्द्र सिंह के मोबाइल पर फोन कर उसे वहां बुलाया। शराब पीने के दौरान दोनों अभियुक्त अपने गिलास में कम शराब तथा बिजेन्द्र सिंह के गिलास में अधिक शराब डालते रहे। अभियुक्त के अनुसार, बिजेन्द्र सिंह के अधिक नशे में होने पर दोनों ने खेत की बाड़ में बंधी रस्सी से उसके गले में फंदा डालकर खींचा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

अभियुक्त ने आगे बताया कि इसके बाद वह अपने मुर्गी फार्म से फावड़ा एवं बोरी लेकर आया। दोनों अभियुक्त बिजेन्द्र सिंह के शव को कंधे पर उठाकर नहर के पास खेतों के बीच बने तालाबनुमा गड्ढे के पास ले गए तथा शव को पानी में डुबोने के लिए बोरी में मिट्टी भरकर उसकी कमर में बांध दिया। वापस लौटते समय नीरज ने बिजेन्द्र सिंह का मोबाइल फोन एवं पर्स निकालकर साहिल को दे दिया। अभियुक्त नीरज ने उक्त स्थान की जानकारी देते हुए शव छिपाने वाले स्थान की बरामदगी कराने की बात भी बताई।

बरामदगी-

1. अभियुक्त साहिल सरोज के कब्जे से मृतक का 01 अदद पर्स, जिससे 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद एटीएम कार्ड बरामद।

02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद रस्सी का टुकडा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. नीरज सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी ग्राम चेरगढ़, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

2. साहिल सरोज पुत्र राजकुमार सरोज निवासी ग्राम महासीनपुर, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01- अभियुक्त नीरज सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं 120/2023 धारा 342, 363, 376(3), 506 भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतपागढ़ ।02. मु0अ0सं0 210/2026 धारा 103(1), 238 एवं 315 बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतपागढ़।

02- अभियुक्त साहिल सरोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 210/2026 धारा 103(1), 238 एवं 315 बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतपागढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना संग्रामगढ़ पुलिस-
थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सिद्धार्थ सिंह उ0नि0 आत्माप्रसाद यादव, उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर, का0 कुलदीप यादव, का0 बीरपाल, का0 अवधेश यादव का0 विजय चौहान, म0का0 पूजा यादव, रि0का0 सुयश राय, रि0का0 शिवम कुमार, रि0का0 अनिरुद्ध यादव एवं रि0का0 अंकित प्रभात, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम-
उ0नि0 विजेन्द्र सिंह प्रभारी स्पेशल टीम, हे0का0 मनोज यादव, का0 मुकेश पटेल एवं का0 पीयूष यादव।

सर्विलांस सेल
हे0का0 जितेन्द्र कुशवाहा।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा साइबर अपराध एवं अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में प्रयुक्त होने वाले बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार। भारी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज, QR कोड एवं अन्य सामग्री बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम मनीराम का पुरवा, खटवारा में दबिश देकर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में अंकुश वर्मा की निशानदेही पर उसके घर से अतिरिक्त बरामदगी की गई।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 327/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण-
24 अदद QR कोड स्कैन पैड।
08 अदद बैंक पासबुक एवं 03 अदद चेकबुक।
08 अदद आधार कार्ड/छायाप्रति एवं 01 आधार अपडेट फॉर्म।
03 अदद पैन कार्ड।
07 अदद खाली सिम लिफाफे एवं 02 अदद सिम सहित लिफाफे।

01 अदद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का एटीएम कार्ड संबंधी पत्र।
03 अदद एटीएम कार्ड।
01 अदद रजिस्टर एवं 05 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन।

घटना का विवरण-
पूछताछ में प्रकाश में आया कि अभियुक्तों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते एवं सिम कार्ड खुलवाकर उनकी पासबुक, चेकबुक, सिम एवं बैंकिंग विवरण साइबर अपराध तथा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में संलिप्त व्यक्तियों/पैनल संचालकों को उपलब्ध कराए जाते थे। इन खातों का प्रयोग साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के लेन-देन में किया जाता था। बरामद रजिस्टर में 63 बैंक खातों का विवरण अंकित मिला। समन्वय पोर्टल पर जांच में कुछ खातों के विरुद्ध अन्य राज्यों में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें भी पाई गईं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1-अंकित पटेल पुत्र राम सजीवन पटेल, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी कटरा जलेसर गंज, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
2-रिशांक शेखर सिंह पुत्र हरेंद्र सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट गोनिया छपरा, थाना बैरिया, जनपद बलिया।
3-के0 सागर पुत्र के0 रामू, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी कैम्प-01, स्टील नगर, भिलाई, जनपद दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4-अंकुश वर्मा पुत्र दिलीप वर्मा, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी मनीराम का पुरवा, खटवारा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय, का0 मनोज यादव, का0 दिलीप यादव, का0 प्रमोद यादव, रि0का0 विकास कुमार यादव, रि0का0 प्रशान्त कुमार सिंह, रि0का0 धीरज पासवान, रि0का0 जिलाजीत यादव, रि0का0 अजीत राम, उ0नि0 श्री राजेन्द्र पाण्डेय, रि0का0 मन्दीप कुमार पटेल, रि0का0 अनूप यादव एवं वाहन चालक वीसी राधेश्याम मिश्रा।

द्वितीय टीम (अभियुक्त की निशानदेही पर अतिरिक्त बरामदगी)-
वरिष्ठ उ0नि0 श्री एहसान उल हक खान, उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय, का0 प्रमोद कुमार एवं रि0का0 जिलाजीत यादव थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने सहित अन्य धाराओं में पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को जनपद अमेठी से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 विपिन कनौजिया द्वारा थाना कोहंडौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2026 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त बृजलाल कोरी पुत्र स्व0 जंगली कोरी निवासी ग्राम खरगपुर (भारामल का पुरवा), थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 03.11.2026 को भादा, जनपद अमेठी स्थित राज रेस्टोरेंट के बगल चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.10.2026 को वादी राजकुमार पुत्र राम निहोर, निवासी ग्राम पूरे मनिकंठ, थाना कोहंडौर की तहरीर के आधार पर अभियुक्त बृजलाल के विरुद्ध फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने एवं अन्य योजनाओं का प्रलोभन देकर 18,10,000/- से 32,39,420/- रुपये की धोखाधड़ी करने तथा रुपये मांगने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 0201/2026 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादंसं पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-बृजलाल कोरी पुत्र स्व0 जंगली कोरी, निवासी ग्राम खरगपुर (भारामल का पुरवा), थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी।

पुलिस टीम-

उ0नि0 बृजेश कुमार एवं का0 विपिन कनौजिया, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।